न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 20/2020 **दायर दिनांकः 17.02.2020**

उनवान

1. विजेश कुमार मालव आयु 25 वर्ष पुत्र रामचरण
2. रोहित मालव आयु 23 वर्ष पुत्र रामचरण
3. आशू मालव आयु 20 वर्ष पुत्र रामचरण जातियान धाकड निवासीगण कुन्जैड तह0 अटरू जिला बारां।

वादीगण

बनाम

1. रामचरण आयु 60 वर्ष पुत्र नन्दलाल जाति धाकड निवासीगण कुन्जैड तह0 अटरू जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,91 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर नागर

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री हरिश गालव

आदेश

दिनाकः 04.03.2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91 आर0टी0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल रामपुरिया तहसील अटरू जिला बारां की खाता सं0 126 का ख.नं. 213 का रकबा 1.61 है0 ख.नं. 215 का रकबा 4.33 है0 कुल किता 2 का रकबा 5.94 है0 प्रतिवादीक्रम 1 के आराजी खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद 1 में वर्णित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। जो वादीगण के दादाजी नन्दलाल के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादीक्रम 1 को पिता नन्दलाल से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादीक्रम 1 की सन्ताने है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 अपने—अपने हिस्से को कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 का हिस्सा 1/4, 1/4 बनता है जिसमें वादीगण का जन्म से ही अधिकार बनता है। मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी हिस्सा 1/4 को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादीक्रम 1 से किया तो प्रतिवादीक्रम 1 ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी में अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 08.01.2020 को प्रतिवादीक्रम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी 1/4, 1/4 को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी में दर्ज

करवाया जावे। परन्तु प्रतिवादीक्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी में दर्ज नहीं होने से वादीगण को कई समस्याओं का सामना करना पड रहा है। वादीगण केसीसी नहीं बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीक्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है। वादीगण वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से अपने हिस्से 1/4 की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार वादीगण द्वारा प्रतिवादीक्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी 1/4 को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 05.02.2020 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ। उक्त आराजी पर रहन का नोट हमारे हिस्से की आराजी पर दर्ज कर दिया जावे। जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल रामपुरिया तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीक्रम 2 बनाया है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीक्रम 1 सादिर फरमाई जावे कि – (अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीक्रम 1 के मुताबिक हिस्सा 1/4, 1/4 राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी में नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावे। (ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वादीगण एवं प्रतिवादीक्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम व माल रामपुरिया तह0 अटरू कि खाता सं0 126 की कुल किता 2 की 5.94 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है जो प्रतिवादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4, 1/4 बनता है। उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। जो राजीनामा निम्न प्रकार है। ग्राम व माल रामपुरिया तह0 अटरू की खाता सं0 126 की खं.नं. 213 की 1.61 है0 ख.नं. 215 की 4.33 है0 कुल किता 2 की 5.94 है0 आराजी में वादीगण 1 लगायत 3 व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/4, 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर हिस्सा 1/4, 1/4 को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी दर्ज किया जावे।

उपस्थित पक्षकारान को सुना तथा राजीनामा पढकर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एवं प्रतिवादी कम 1 की पहचान श्री हरिश गालव एडवोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शामिल फाइल किया। पत्रावली का अवलोकन किया ग्राम माल रामपुरिया की खाता सं0 126 की खं.नं. 213 की 1.61 है0 ख.नं. 215 की 4.33 है0 कुल किता 2 की 5.94 है0 प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज है। जो पूर्व में वादीगण के दादाजी नन्दलाल के खाते दर्ज थी प्रतिवादी कम 1 को पिता नन्दलाल से प्राप्त हुई है, जो पैतृक सम्पत्ति होने से वादीगण का जन्म से अधिकार बनता है। राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

उपराक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। राजीनामा अनुसार ग्राम माल रामपुरिया की खाता सं0 126 कुल किता 2 की 5.94 है0 में वादीगण 1 ल 3 व प्रतिवादी कम 1 को हिस्सा 1/4–1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन पूर्व खाता एचडीएफसी बैंक बारां खाते प्रतिवादी कम 1 दर्ज किया जावे।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)

उपखण्ड अधिकारी,
अटरू, जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>

बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 20/2020

उनवान

1. विजेश कुमार मालव आयु 25 वर्ष पुत्र रामचरण
2. रोहित मालव आयु 23 वर्ष पुत्र रामचरण
3. आशू मालव आयु 20 वर्ष पुत्र रामचरण जातियान धाकड निवासीगण कुन्जैड तह0 अटरू जिला बारां।

वादीगण

बनाम

1. रामचरण आयु 60 वर्ष पुत्र नन्दलाल जाति धाकड निवासीगण कुन्जैड तह0 अटरू जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,91 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

उपस्थिति :–

वादीगण	:–	विद्वान अभिभाषक श्री महावीर नागर
प्रतिवादीगण	:–	विद्वान अभिभाषक श्री हरिश गालव

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार योग्य है, अतः वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार आदेश किये जाते है –

उपराक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। राजीनामा अनुसार ग्राम माल रामपुरिया की खाता सं0 126 कुल किता 2 की 5.94 है0 में वादीगण 1 ल 3 व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/4–1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन पूर्व खाता एचडीएफसी बैंक बारां खाते प्रतिवादी क्रम 1 दर्ज किया जावे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.............. .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 04.03.2020 को जारी किया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.01 14:36:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: